न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2025/159
निगरानी संख्या 07/2025

तारीख रजू 08.07.2025

मूलचन्द पुत्र भैरूलाल खटीक निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
...... निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण

बनाम

1. मिथलेश पत्नि मांगीलाल पुत्री मुन्नालाल खटीक निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. महेन्द्र पुत्र हीरालाल खटीक निवासी खण्डार हाल मानपुर तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3. जयप्रकाश पुत्र हीरालाल खटीक मकान नं0 जी–573 शकूरपुर जे0जे0 कॉलोनी नई दिल्ली
4. मांगीलाल पुत्र हीरालाल खटीक निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

2\. ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच।

...........अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 24.02.2026

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्डार के निर्णय दिनांक 03.02.2016 मिसल संख्या 157/2015–2016 के विरूद्ध पेश करते हुए अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्ग कभी खण्डार में नहीं रहे। अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्गो की कोई जायदाद या विवादित मकान खण्डार में नहीं रहा। अप्रार्थी सं0 1 के बुजुर्ग सर्वदा से ग्राम मानपुर जिला श्योपुर कलां (म0प्र0) में रहे है। अप्रार्थी सं0 1 के बुजुर्गों की जायदाद ग्राम मानपुर में है। अप्रार्थी सं0 1 की शादी खण्डार में हुई है शादी से पूर्व अप्रार्थी सं0 1 कभी भी खण्डार में नहीं रही। ऐसी स्थिति में विवादित मकान का अप्रार्थी सं0 1 का पुस्तैनी पैतृक मकान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्राम पंचायत को विवादित मकान हीरालाल मूलचंद पिसरान भैरूलाल खटीक का होने की बखूबी जानकारी थी तथा हीरालाल के वारिसान व मूलचंद जीवित होने पर भी हीरालाल के वारिसान व मूलचन्द को नोटिस दिये बिना ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सं0 1 से उसके पैतृक मकान होने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के बावजूद प्राकृतिक न्याय के विपरीत दिनांक 03.02.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया गया है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी [illegible] हुए बहस में तर्क दिया है कि निर्णय ग्राम पंचायत खण्डार कानून व [illegible] से लायके मंसूख है। [illegible] संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

1 के बुजुर्ग कभी खण्डार में नहीं रहे। अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्गो की कोई जायदाद या विवादित मकान खण्डार में नहीं रहा। अप्रार्थी सं0 1 के बुजुर्ग सर्वदा से ग्राम मानपुर जिला श्योपुर कलां (म0प्र0) में रहे है। अप्रार्थी सं0 1 के बुजुर्गों की जायदाद ग्राम मानपुर में है। अप्रार्थी सं0 1 की शादी खण्डार में हुई है शादी से पूर्व अप्रार्थी सं0 1 कभी भी खण्डार में नहीं रही। ऐसी स्थिति में विवादित मकान का अप्रार्थी सं0 1 का पुस्तैनी पैतृक मकान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्राम पंचायत को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी कि विवादित मकान हीरालाल मूलचंद पिसरान भैरूलाल खटीक का है तथा हीरालाल के वारिसान व मूलचंद जीवित है हीरालाल के वारिसान व मूलचन्द को नोटिस दिये बिना ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सं0 1 से उसके पैतृक मकान होने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के बावजूद दिनांक 03.02.2016 को जो निर्णय किया है वह नेचूरल जस्टिस के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। निगरानीगुजरान एवं हीरालाल (फोत) दो भाई है। हीरालाल के मांगीलाल, महेन्द्र एवं जयप्रकाश पुत्र है। विवादित मकान से लगता हुआ पूर्व में मकान चिरंजीलाल पुत्र भूरालाल खटीक का है चिरंजीलाल के पक्ष में उसके मकान का पट्टा पंचायत ने जारी किया और नक्शा बनाया उसकी सीमा में पश्चिम की ओर हीरालाल मूलचन्द पिसरान भैरूलाल खटीक का मकान बताया है साथ ही साथ पट्टे में भी पश्चिम दिशा में हीरालाल मूलचन्द का मकान बताया है चिरंजीलाल के पक्ष में जारी पट्टा वर्ष 2012 का है। अर्थात अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने से पूर्व ग्राम पंचायत को यह स्पष्ट जानकारी थी कि विवादित मकान हीरालाल मूलचन्द पिसरान भैरूलाल का ही मिथलेश व मिथलेश के पूर्वजों का नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत ने हीरालाल के वारिसान व मूलचन्द को बिना नोटिस दिये जो निर्णय किया वह नेचूरल जस्टिस व विधि के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। प्रार्थी निगरानीगुजार ने अप्रार्थी सं0 1 के पति अप्रार्थी सं04 मांगीलाल से विवादित मकान का विभाजन करने व 1/2 हिस्सा प्रार्थी का कायम करने हेतु दिनांक 07.07.2023 को कहा तो अप्रार्थी सं04 ने कहा कि "आप लोगो का कोई लेना देना नहीं है यह मकान मेरी पत्नी मिथलेश का है। इस मकान का ग्राम पंचायत ने दिनांक 03.02.16 को मेरी पत्नी के पक्ष में निर्णय कर दिया है" जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत खण्डार में दिनांक 08.07.2023 को नकल प्राप्त कर फैसले की सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद निगरानी पेश की है। अन्त में निगरानीकर्ता ने निगरानी स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत खण्डार का निर्णय दिनांक 03.02.2016 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अपने भतीजा-बहू के पक्ष में ग्राम पंचायत खण्डार के आदेश दिनांक 03.02.2016 के द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व यह देखा जाता है कि उक्त विवादित भूखण्ड हेतु पट्टा चाहने वाले का उक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा हो। उक्त विवादित भूखण्ड आबादी क्षेत्र में आता हो तथा उसकी सीमाओं के संबंध में किसी प्रकार का विवाद ना हो, विवादित भूखण्ड आम रास्ता में [illegible] करते समय ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बिन्दुओं को देखकर पट्टा जारी करने से पूर्व [illegible].15 को धारा 146 के तहत बनाई गई मौका रिपोर्ट में मकान का नजराना [illegible] एवं पट्टा दिये जाने में पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने [illegible] उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 27.10.2015 को जारी किया जाकर दो पडौसियों के समक्ष उक्त नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें किसी को आक्षेप होने पर नोटिस जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपने आक्षेप फाइल कर देना चाहिए था किन्तु किसी के भी आपत्ति नहीं करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा चाहने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के लगभग छः माह पश्चात् दिनांक 03.02.2016 को पट्टा जारी किया गया है। मेरी राय में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे में कोई त्रुटि नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज फरमायी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested